रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 26, 2012/अग्रहायण 5, 1934
No. 598] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 26, 2012/AGRAHAYANA 5, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2012

सा.का.नि. 844(अ).—औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियम भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 249 (अ) तारीख 22 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों, जिनके उनसे प्रभावित होने की सम्भावना है, से उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तारीख से पैंतालिस दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 मार्च, 2012 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियम के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब केंद्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 ढ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (पांचवा संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये उनके राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।